

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर०एस० वर्ल्ड स्कूल, खजुरी,
राजातालाब, वाराणसी।

पत्रांक./बेसिक/ 9213-15 /2018-2019 दिनांक : 07 सितम्बर, 2018

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 28-04-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं आर०एस० वर्ल्ड स्कूल, खजुरी, राजातालाब, वाराणसी को सत्र 2018-19 से तीन शैक्षिक सत्रों तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तितम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विरतारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गी और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सांसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता वस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

Principal
Rajataalab
Khajuri
Varanasi

(क्रमशः 2)

R. S. WORLD SCHOOL

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उल्लिखित विद्यालय के मानकों और सविनियम को बरतते रहेंगे। अधिनियम अधिनियम के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाय विमानुसार है-
 - विद्यालय परिचार का बंधनत्व - 0.186 हेक्टर/अर
 - मूल विभिन्न क्षेत्र - 0.186 हेक्टर/अर
 - प्रयोगशाला का क्षेत्रफल - पर्याप्त है।
 - कक्षाओं की संख्या - 10
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह प्राध्यापक के लिये कक्षा - 03
 - गार्डन और खेलकूदों के लिये पृथक खेलकूद - उपलब्ध है।
 - भवनगत सुविधा - उपलब्ध है।
 - बिज-डे-गैर धारा-19 के लिये रसेड -
 - गार्डन स्थित पहुँच - उपलब्ध है।
 - उच्चतम पढने सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या जोड़न स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सांसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1986 (1986 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सांसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक स्थल द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी बार्ड (एकान्द) द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शैक्षिक शिक्षा अधिनियमों को देखते जाये चाहिये।
- 14- अपने विद्यालय को आश्रित मान्यता जोड़ संस्थाक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यलय के साथ किसी बंधनकार के लिये इस संस्थाक को उपलब्ध करे।
- 15- विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना उपलब्ध करता है जो समय-समय पर शिक्षा निरीक्षक/शिक्षा वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और अनुचित संरक्षण/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुरोधों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रमों की कृषियों को तुर करने के लिये तमो किये जाय।
- 16- सांसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कार्य अभिलेख पूर्ण, कर्तव्य एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट मान्यता स्वतः निरस्त सांसाइटी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक समन्वयित विद्यालय प्रबंधन का होगा।

[Handwritten signature]

सचिव



(जय सिंह)

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी

वासणसी।

उसी तिथि को।

मुख्य/ वैशिक/

/2018-2019

प्रतिनीति निर्माताओं को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक) जयपुर मण्डल, वासणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जयपुर क्षेत्र/मण्डलीय क्षेत्र वासणसी।

R. S. WORLD SCHOOL

R. S. WORLD SCHOOL

(जय सिंह)

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी

वासणसी।

Principal
R.S. World School
Khajuri Rajastan
Varanasi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Manager
[Handwritten signature]